दस टका · दश टाका · દસ રૂપિયા · ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ · दहा रुपये · दस रुपये · दश रूप्यकाणि

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

LODI ROAD 110003

PAY TO लोक सूचना अधिकारी
बी-9 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय
नई दिल्ली - 16

दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

AT THE POST OFFICE AT ________ के डाकघर में अदा करें ।

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दें ।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE

मनोज कुमार S/o ओमपाल सिंह
ग्राम- हसनपुर मजरा
खेकड़ा जिला- बागपत - 250101

सत्यमेव जयते

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

44F 192385

1779 Recd 17/06/2019

सेवा में,

लोक सुचना अधिकारी
बी–9, कुतूब इंस्टीट्यूशनल एरिया कटवारिया सराय
नई दिल्ली 110016

विषयः जनसुचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सुचना मांगे जाने विषयक प्रार्थना पत्र।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रार्थी ने आपके सर्तकता विभाग के जागरूकता अधिकारी को दिनांक 27.03.2019 को शिकायती पत्र दिया था लेकिन अभी तक कोई भी संतोषजनक कार्यवाही नही की गई हैं लिहाजा अपने जनसुचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपने पूर्व में भेजे गये पत्र के संज्ञान में आने से बाद की गई समस्त कार्यवाही निम्न बिन्दुओ पर चाहता है। कृपया इस सन्दर्भ में निम्न सुचना प्रमाणित प्रतिलिपियों में निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध करायें :—

1. मेरे आवेदन पर की गई प्रति दिन की कार्यवाही अतार्थ दैनिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध करायें।
2. मेरे आवेदन किन किन अधिकारी/कर्मचारीगण के पास गए तथा किस अधिकारी ने कितने समय तक उसको अपने पास रोके रखा।
3. समस्त कार्यवाही के दोरान सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारीगण ने क्या कार्यवाही की उसका सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध करायें।
4. कृपया उन समस्त अधिकारी व कर्मचारीगण के नाम व पद का प्रमाणित विवरण दे।
5. आपके विभाग के नियम व कानून के अनुसार शिकायती पत्रो का निस्तारण की निर्धारित समयावधि प्रमाणित प्रतिलिपि में उपलब्ध करायें। क्या मेरे पत्र के निस्तारण में भी विभाग की नियमावली में निर्धारित समय सीमा का ध्यान रखा गया है यदि नही रखा गया तो उसका कारण प्रमाणित प्रतिलिपि में उपलब्ध करायें।
6. आपके विभाग की किसी भी लापरवाही के कारण अपीलार्थी जनता को होने वाली असुविधा के दोषी अधिकारियो/कर्मचारीयो के खिलाफ किस तरह की दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है। उसको प्रमाणित प्रतिलिपि में उपलब्ध करायें।

यदि मांगी गई सुचना आपके विभाग/कार्यालय से सम्बन्धित नही है तो सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन सम्बन्धित लोक सुचना अधिकारी को पॉच दिनो के अंदर हस्तांन्तरित करें साथ ही अधिनियमों के प्रावधानो के तहत सुचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पता अवश्यक बतायें।

प्रार्थी द्वारा निर्धारित शुल्क के पोर्स्टल आर्डर संख्या 44एफ–192385 साथ में मूल रूप में संलग्न है।

दिनांक 13-6-19
संलग्नक : [redacted]

प्रार्थी

मनोज कुमार पुत्र श्री ओमपाल सिंह
गांव हसनपुर मंसूरी
पोस्ट खेकडा, जनपद बागपत
यू0पी0 250101
फोन नम्बर 9756387879,7500757879

3. जागरूकता अधिकारी (Vegilance)
पावर ग्रिड कारपेरशन ऑफ इण्डिया लि0
बी0–9, कुतूक इन्स्टीटयूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–16

विषयः जीप टेण्डर (नवीकरण) से वंचित रखने एवं दिए जाने हेतु सुविधा शुल्क की मांग किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदयगण,

कृपया अवगत कराना है कि प्रार्थी मनोज कुमार पुत्र श्री ओमपाल सिंह की गाडी (UP-T-9193) आपके पावर ग्रिड 400/220 के0वी0 उपकेन्द्र, मण्डोला, गाजियाबाद यू0पी0 201102 में 15 दिसम्बर 2015 से लगातार सेवा प्रदान कर रही है। महोदय के संज्ञान में लाना है कि गाडी के टेण्डर का नवीनीकरण होना है जिसके सम्बन्ध में ना तो कसी किसी भी प्रकार के माध्यम से सूचित किया गया। आज दिनांक 13.03.2019 के सांय 3:30 मिनट जब मैं अभियंता (अंशुमान शर्मा) के कार्यालय गाडी कार्य हेतु पहुचा तो ज्ञात हुआ कि किन्ही चार व्यक्तियों को टेण्डर देने की प्रक्रियां पूरी की जा रही थी, जब मैंने अभियंता से पुछा कि मुझे टेण्डर के सम्बन्ध में अवगत क्यों नही कराया गया तभी मुझे अभियंता ने अपने ही कक्ष में बेठे व्यक्तियों को बाहर भेजा और कहा कि मुख्य कार्यालय से चार गाडीयों का ही अप्रुव्वल आया है जिसमें आपको वंचित रखा गया है, मैने कारण पुछा तो वो बोले यदि आप अपनी गाडी दोबारा लगवाना चाहते हो तो अपनी मिलने वाली एक माह की मासिक आय देनी होगी। जब प्रार्थी ने उसे देने में असमर्थता जतायी, तो उन्होने बोला कि मुझे भी तो अपने सीनियर (महाप्रबन्धक व मुख्य प्रबन्धक) को जवाब देना होता है और उसके बाद धन अभाव में मेरा प्रार्थना पत्र प्राप्त भी नही किया फिर मैने स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना प्रार्थना पत्र प्रेषित कर दिया।

अतः आप सभी से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुए प्रार्थी को नवीनीकरण टेण्डर में शामिल होने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

दिनांक : 27-3-19 —धन्यवाद।
संलग्नक :स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया प्रार्थना पत्र।

प्रार्थी

मनोज कुमार पुत्र श्री ओमपाल सिह
ग्राम हसनपुर मंसुरी, पोस्ट खेकडा
जनपद बागपत, यू0पी0 250101
मोबाईल नम्बर 9756387879,
7500757879

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. माननीय जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
2. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।

भारतीय डाक
EU196613040IN IVR:6985196613040
SP KHEKRA SO <250101>
Counter No:2,27/03/2019,10:30
To:PAWER GRID CO,,B-9 KUTRUINSTIT
PIN:110016, Hauz Khas SO
From:MANOJ KUMAR,HASANPUR MASOORI
Wt:45gms
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 1800 266 6868>

मनोज कुमार पुत्र श्री ओमपाल सिह

EMS SPEED POST
EU022753308IN

from
मनोज कुमार पु० ओमपाल सिंह
गांव - इदरीसपुर [illegible]
पो० - टीकरी
जिला - बागपत उ०प्र० 250101
(M) 9756387879

To
लोक सूचना अधिकारी
बी-7, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया
कटवारिया सराय नई दिल्ली - 110016

1815
17/6/19

भारतीय डाक
India Post

EU022753308IN
Counter No:2,13/06/2019,12:54

Amt:41.30(Cash)Wt:20gms

From:KHEKRA SO <250101>
From:Meerut Cantt RMS ID/ Hub
To:New Delhi NSH Hub
Del PO:Hauz Khas SO,110016>